वर्ष 4, संख्या 90 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

मार्च 2007 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा आश्रय अधिकार अभियान, एक गैर सरकारी संगठन, के सहयोग में ''मानसिक रूप से रुग्ण महिलाएं – क्या निराश्रय के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं ?'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार 8 और 9 मार्च 2007 को आयोजित किया। सभी संबंधित पक्षों ने इस सेमिनार में भाग लिया जैसे पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के सचिव, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अशक्तता आयुक्त, विशेषज्ञ, संबंधित गैर सरकारी संगठन और प्रभावित महिलाएं तथा बच्चे।

चर्चा में मानसिक रूप से रुग्ण महिलाएं

कुछेक मानसिक-रुग्ण महिलाएं मंच पर आयीं और अपनी समस्याओं पर बोलीं। सेमिनार का प्रमुख मुद्दा मानसिक-रुग्ण महिलाओं के जीवन में आने वाली कठिनाइयां, परिवार द्वारा परित्याग तथा निराश्रयता और इन महिलाओं की देखभाल एवं कल्याण में कार्यरत सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर विचार करना था। सेमिनार के लक्ष थे :

मानसिक रूप से रुग्ण महिलाओं पर सेमिनार में डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डा. गिरिजा व्यास और डॉ. अंबुमानी रामदौस

- मानसिक रूप से रुग्ण महिलाओं की दशा पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना।
- सेवा प्रणाली के सम्मुख आने वाली कठिनाइयां मालूम करना और संबंधित संगठनों से सूचना प्राप्त कर एक आवश्यकता-आधारित कार्य-योजना तैयार करना।
- सेमिनार के विचार-विमर्शों से निकली सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य-योजना बनाना।
- महिलाओं तथा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों से संपर्क स्थापित करना।

श्रोताओं का स्वागत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का गिरिजा व्यास ने कहा कि वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी है और यह मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा नही करता। कानून के अनुसार, मानसिक रुग्णता तलाक

डा. कलाम, डा. गिरिजा ब्यास, डा. रामदौस तथा आयोग के सदस्य दीप प्रज्वलित करते हुए

का आधार हो सकती है तथा ऐसे लोगों को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस को भी संवेदीकृत किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कभी-कभी उन पर मानसिक-रुग्ण लोगों को तंग किए जाने के आरोप लगते रहे हैं।

इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. अंबुमानी रामदौस ने अपने भाषण में बताया कि सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे महिलाओं के प्रति अ-संवेदनशील बताया गया है। उन्होनें कहा कि देश की लगभग 7 से 8 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित है और 1.5 से 2 प्रतिशत घोर मानसिक विकास की शिकार है जिसे अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता है।

परन्तु मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत अपर्याप्त हैं। इसके लिए हमारे देश में केवल 36 संस्थान हैं। भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर मात्र 2 मनोवैज्ञानिक हैं जबकि अमेरिका में 150 हैं। सरकार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पैसा खर्च करने की योजना बना रही है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मानसिक विकारों की दवाएं मुहय्या कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे मरीजों को विशेषज्ञों के पास जाने को कहा जाता है। आगामी तीन वर्षो में 400 जिलों को राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जायेगा। अंतत: देश के सभी 600 जिलों में यह कार्यक्रम लागू होगा।

भारत के राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों तथा राज्यों के महिला आयोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग देश में 100 पुनर्वास केन्द्र और 1000 देखभाल-उपरांत गृह स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र तथा समाज सुधारक भी, प्रशिक्षित लोगों की सहायता से, इस उद्देश्य के निमित्त कार्य कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में, प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों का कल्याण तथा परिवार मंत्रणा भी शामिल की जानी चाहिए और ढांचागत सहायता के लिए सामाजिक न्याय एवं महिला तथा बाल विकास मंत्रालयों द्वारा आवश्यक धन प्रदान किया जाना चाहिए।

उन्होनें कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक वेबसाइट स्थापित कर सकता है, जहां समाज के सदस्य ऐसे निराश्रितों के बारे में रिपोर्ट दर्ज करा सकें जो उन्हें अपने दैनिक कामकाज के दौरान दिखाई दें। निराश्रितों के आंकड़ों के संकलन तथा दर्जीकरण के लिए आयोग द्वारा पुलिस, स्काउटों, गाइडों तथा वालंटियरों की सहायता ली जा सकती है। पुलिस को इस बात के लिए संवेदीकृत किया जा सकता है कि अपने क्षेत्राधिकार में पाये जाने वाले मानसिक रूप से रुग्णों की सूचना निकटतम पुनर्वास केन्द्र को दें और रुग्णों के रिश्तेदारों को भी उनका इलाज कराने की प्रेरणा दें।

सेमिनार के दूसरे दिन, विभिन्न मुद्दों जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता, देखभाल की गुणवत्ता तथा स्तर, मानसिक रुग्णता से पीड़ित महिलाओं के मानव अधिकारों, संबंधित कानूनों में लिंग परिप्रेक्ष्यता, जन-जागरूकता उत्पन्न करने, समाज द्वारा पहल किए जाने, पर्याप्त परिवार समर्थन की कमी, रुग्णों के लिए पुनर्वास सुविधाओं का अभाव आदि पर चर्चा करने के लिए सेमिनार के भागीदार कार्यकारी ग्रुपों में विभाजित हुए।

सेमिनार से निकले सुझाव, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से सिफारिशें करने तथा समाज में मानसिक रूप से रुग्णों के पुनर्वास की नीतियां बनाने का आधार बनेंगे।

डा. कलाम तथा डा. व्याज चर्चा करते हुए

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 14 मार्च की हिंसा की रिपोर्ट मांगी

नंदीग्राम में 14 मार्च को हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए, जिसमें एक महिला की भी मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य मंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भेजे गये एक पत्र में आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्याज ने हिंसा में एक महिला की मृत्यु तथा बलात्कार के अरोपों पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि यह जान कर बड़ा आघात पंहुचा है कि अनेक महिलाएं तथा बच्चे शिवरों में रह रहे हैं और अपने घरों को वापस जाने में असमर्थ हैं।

डा. व्याज ने राज्य सरकार से यह जानकारी देने को कहा है कि हिंसा में कितनी महिलाएं मारी गयीं और धायल हुयीं, क्या गत तीन मास के दौरान गैर सामाजिक तत्वों द्वारा किसी महिला की हत्या की गयी, क्या महिलाओं की मृत्यु एवं चोटों का केवलमात्र कारण पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना है, मृतकों के परिवारों को क्या मुआवज़ा दिया गया है, पुलिस की कार्यवाही पर की गयी जांच का ब्यौरा क्या है और क्या बलात्कार के आरोपों की अलग से कोई जांच कराई गयी है।

भारतीय महिला को विज्ञान का शीर्ष पुरस्कार

शायद यह किसी भारतीय महिला वैज्ञानिक को दी गयी पहली मान्यता है। टाटा इंस्टीटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई में गणित की संयुक्त प्राध्यापक सुश्री रामदोराई सुजाता को विश्वविख्यात अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटीकल फिजिक्स द्वारा, जो इटली में ट्रीस्टे में स्थित है, 2006 का रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया गया।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने समाज शोध केन्द्र, नई दिल्ली, द्वारा 'महिलाओं पर जन्म से मरण तक हिंसा' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रमुख भाषण दिया। सेमिनार का प्रायोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया था।

सुश्री भट्टाचार्य इंफाल में उखरुल जिले में शंधशाक की तुंगखूल जनजाति की महिलाओं के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने भी गयीं। उल्लेखनीय है कि तुंगखूल नागा केवलमात्र ऐसी जनजाति है जिसका कि एक लिखित संविधान है और हाल ही में महिलाओं को स्थानीय स्व-शासन में स्थान प्रदान करने के लिए इस संविधान में संशोधन किया गया है। अपने भाषण में, सुश्री भट्टाचार्य ने संघर्ष की स्थिति में हिंसा, घरेलू हिंसा तथा अनैतिक व्यापार की हिंसा पर प्रकाश डाला। बाद में, उन्होनें समाज कल्याण विभाग तथा नव-निर्मित मणिपुर राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने चंडीगढ़ में 'महिलाएं तथा एडस्-एक बढ़ती चुनौती' विषय पर आयोजित तीन-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार का ध्येय अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को इस घातक रोग के प्रति संवेदीकृत करना था। सुश्री अब्रार ने जन-साधारण की जागरूकता, महिलाओं के अधिकारों तथा ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया। सदस्या ने राजस्थान में टोंक का भी दौरा किया और वहां के कलेक्टर तथा एस पी से महिलाओं की स्थिति सुधारने संबंधी कदमों के बारे में चर्चा की तथा विचाराधीन मामलों पर बात की। उन्होनें डायन प्रथा पर भी रिपोर्ट मांगी। बाद में, उन्होनें जयपुर में महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

- सदस्या नीवा कंवर ने कोलकता में पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग द्वारा अनैतिक व्यापार पर आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया। बाद में वह गुवाहाटी गयीं और असम में प्रस्तावित पंचायत महिला शक्ति अभियान के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। शिलांग में सुश्री नीवा कंवर ने आयोग को प्राप्त सिविल न्यायालय के अधिकारों पर एक कार्यशाला में भाग लिया। बाद में, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग के नेटवर्किंग पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ उन्होनें एक बैठक की।

शिवपुर में हस्तकरघा तथा वस्त्र उद्योग के जुलाहों की समस्याओं पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एक कार्यशाला में उन्होनें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होनें जुलाहों से मूगा रेशम के ग्राहकों की मांगो को पूरा करने के लिए डिजाइन तथा रंगकारी में पूर्व-प्रशिक्षण लेने का आग्रह किया। पूर्वोत्तर राज्यों में पनप रहे विद्रोह को काबू करने में उन्होनें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के आर्थिक उत्थान के उपायों पर जोर दिया।

- सदस्या मंजु एस. हेमब्रोम ने रांची, झारखंड में भारतीय पिछड़े वर्गों की प्रबंध समिति द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड से बड़ी संख्या में महिलाएं आयीं।

बाद में, झारखण्ड के उप प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एक सेमिनार में उन्होंने भाग लिया। इसमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के 150 प्रतिनिधियों के समक्ष बोलते हुए उन्होनें अनैतिक व्यापार की समस्याओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। तत्पश्चात उन्होंने जिलाधीश तथा एसपी के साथ बैठक की जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों तथा सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।

हज़ारीबाग के संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से की गयी एक शिकायत के आधार पर, सुश्री हेमब्रोम हजारीबाग में सदर के छानों बाहेरी ब्लाक में ग्रामीणों पर पुलिस के कथित अत्याचारों की जांच करने गयीं। अनेक गवाहों से पूछताछ करने के बाद सदस्या इस नतीजे पर पहुंची कि पुलिस ने महिलाओं तथा ग्रामीणों पर निश्चित रूप से अत्याचार किया था। उन्होनें जिलाधीश तथा एसपी को शन्ति बनाए रखने के लिए एक शन्ति समिति गठित करने का सुझाव दिया और कहा कि जिले में आगे कोई जाति-आधारित हिंसा न हो इसके लिए त्वरित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

अनैतिक व्यापार पर कार्यशाला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण गोवा के एक रिजोर्ट में ''बच्चों तथा महिलाओं के विशेष संदर्भ में अनैतिक मानव व्यापार की रोकथाम के उपाय'' विषय पर दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह राने ने बताया कि एक गोवा राज्य कार्य योजना तैयार की गयी है जिसके अनुसार महिलाओं तथा बच्चों के बढ़ते हुए अनैतिक व्यापार पर, जिसके परिणामस्वरूप वेश्यावृत्ति होती है, अंकुश लगाने के प्रयोजन से विदेशी पर्यटकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की गयी है।

उन्होनें आगे कहा कि किसी भी आपदा के आने पर महिलाओं और बच्चों को सर्वाधिक कष्ठ उठाने पड़ते हैं और गरीबी एक ऐसी बुराई है जो महिलाओं एवं बच्चों को वेश्यावृत्ति में ढकेल देती है। देश में 800 लाल बत्ती क्षेत्र है जहां 75 प्रतिशत महिलाएं एचआईवी पाज़िटिव हैं। यह एक बड़ी भयावह स्थिति है और ऐसे देश के लिए जो आर्थिक छलांग लगाना चाहता है बाधक है।

उन्होनें कहा कि गरीबी तथा अशिक्षा मिटाकर समस्या का सामना किया जा सकता है और विधानसभा का आगामी बजट विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को समर्पित होगा, ताकि उन्हें आत्म-निर्भर बनाया जा सके।

गोवा के राज्यपाल श्री एस.सी.जमीर ने कहा कि आज समाज को इस अत्यंत गंभीर समस्या के समाधान के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है; केवल कानून और गैर सरकारी संगठन पर्याप्त नहीं है। बच्चों का अनैतिक व्यापार केवल एक अपराध ही नहीं है, अपितु समाज के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, और आंकड़े दर्शाते हैं कि बुराई बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें पुनर्वास की अपेक्षा रोकथाम पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महिला कोष के अनुसार, विश्व में प्रतिवर्ष 7 करोड़ महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार होता है। भारत की 4 लाख बाल वेश्याएं स्थानीय ग्राहकों अथवा पश्चिम एशियाई व्यापारियों की हाज़िरी करती हैं।

उन्होंने कहा कि वेश्यावृत्ति के मुख्य कारण अनैतिक व्यापार और गरीबी हैं, यद्यपि कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से इस धंधे में आती हैं। इसका सामना करने के लिए हमें पांच स्तंभों की आवश्यकता है-कड़े कानून, पुलिस का संवेदीकरण, जागरूकता कार्यक्रम, सिविल समाज की अहम भूमिका और मीडिया। समस्या के समाधान के लिए इन पांचों स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए।

आयोग की सदस्या डा. निर्मला वेंकटेश, बाल संस्था अधिकारी, यूनिसेफ, श्रीमती विजयलक्ष्मी अरोड़ा तथा मानवाधिकार आयोग के महासचिव श्री रवि कमल भट्टाचार्य ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

अनैतिक व्यापार पर जागरूकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार पर एक जागरूकता कार्यक्रम प्रायोजित किया जिसे जयपुर में समाज विकास केन्द्र द्वारा आयोजित किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए, बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप कठोर कानून बनाने और कानूनों को सख्ती से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। कानूनी उपबन्धों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, वांच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत पुनर्वास कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है। उन्होनें कहा कि महिलाएं वेश्यावृत्ति अपनाने पर तभी मजबूर होती हैं जब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते है। इसी समझ के साथ उनका पुनर्वास भी किया जाना चाहिए।

प्रति वर्ष विश्व में 7 करोड़ महिलाएं देह व्यापार में ढकेल दी जाती हैं। अकेले मुम्बई में ही नेपाल की दो लाख सेक्सकर्मी हैं। केन्द्र सरकार अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है और इस बारे में देश-पर्यतं परामर्श चल रहा है।

डा. गिरिजा व्यास कार्यशाला को संबोधित करते हुए (बायें) सदस्या यास्मीन अब्रार

उन्होनें कहा कि वर्तमान कानूनों की समस्या यह है कि उन्हें बनाते समय महिलाओं की भागीदारी और मशविरा नहीं लिए गये थे। इस अवसर पर बोलते हुए, सदस्या यास्मीन अब्रार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने में शिक्षा तथा गरीबी उन्मूलन मुख्य आधार हैं।

यूनिसेफ के प्रतिनिधियों, राजस्थान सरकार के अधिकारियों, बौद्धिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन